न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 320 / 2020
निर्णय दिनांकः– 08.01.2021

उनवान

शिवलाल पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक –प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री बैणी प्रसाद मीना वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 240 ख0न0 171 रकबा 0.95 है0 , ख0न0 326 रकबा 1.86 ,ख0न0 281 रकबा 0.19 ख0न0 864 रकबा 0.12, ख0न0 867 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.22 है0 वाके ग्राम बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम शिवलाल पुत्र मांगीलाल है। जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र,राशनकार्ड व ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से किसी स्थान पर श्योजी पुत्र मांगीलाल अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम शिवलाल पुत्र मांगीलाल है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम शिवलाल पुत्र मांगीलाल के स्थान पर सहवन से श्योजी पुत्र मांगीलाल दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 240 ख0न0 171 रकबा 0.95 है0 , ख0न0 326 रकबा 1.86 है0 ,ख0न0 281 रकबा 0.19 है0, ख0न0 864 रकबा 0.12 है0, ख0न0 867 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.22 है0 वाके ग्राम बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम **श्योजी पुत्र मांगीलाल के स्थान पर शिवलाल पुत्र मांगीलाल** अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम बोसरिया के खाता सं0 240 में प्रार्थी का नाम श्योजी

उप खण्ड अधिकारी

पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से श्योजी पुत्र मांगीलाल व शिवलाल पुत्र मांगीलाल एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 240 ख0न0 171 रकबा 0.95 है0 , ख0न0 326 रकबा 1.86 है ,ख0न0 281 रकबा 0.19 है0,ख0न0 864 रकबा 0.12 है0, ख0न0 867 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.22 है0 वाके ग्राम बोसरिया तहसील उनियारा में प्रार्थी शिवलाल पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर साकिन बोसरिया खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम शिवलाल पुत्र मांगीलाल व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम शिवलाल दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम बोसरिया के खाता सं0 240 में प्रार्थी का नाम **श्योजी पुत्र मांगीलाल के स्थान पर शिवलाल पुत्र मांगीलाल** किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त **खाता संख्या 240 वाके ग्राम बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज श्योजी पुत्र मांगीलाल के स्थान पर शिवलाल पुत्र मांगीलाल** दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा